APP-A
Crim-I

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा
केम्प कोर्ट उखलियाँ

गोपाल पिता हीरा गुर्जर बनाम माधू पिता हीरा गुर्जर
निवासी– अमरपुरा निवासी– अमरपुरा

किस्म मुकदमा–वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 53, रा.टी. ए. प्रकरण संख्या– 2408/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.06.2018	प्रत्रावली आज लोक अदालत केम्प कोर्ट उखलियाँ पर पेश हुई । वादी गोपाल , व उनके अधिवक्ता श्री मोहम्मद निशार उपस्थित । प्रतिवादी संख्या–9 भँवर लाल उपस्थित । प्रतिवादी संख्या 1 से 8 व 10 अनुपस्थित है । विधिवत आवाजें लगवाई गई । वकील वादी के द्वारा कथन किया गया कि मामला मात्र भूमि विभाजन का है , आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण संख्या– 1 से 10 की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात है , जिसमें वादी व प्रतिवादी नम्बर – 1 का 1/2, तथा प्रतिवादी नंम्बर – 2 से 8 का 1/2 हक हिस्सा निहित है । जिसमें प्रतिवादी संख्या–1 ने अपने हक हिस्से में से कुछ आराजी प्रतिवादी संख्या– 9 व 10 को बेचान कर दी है , जिनका अन्तकाल भी खुल चूका है , इस कारण वादी 1/4 हक हिस्सा उक्त आराजीयात में निहित है , आराजी मुतदाविया के अनुसार जेठू व हगामी फोत हो जाने से जेठू के वारिस प्रतिवादी संख्या– 2 से 6 है व हगामी के वारिस प्रतिवादी 2 से 8 है । आराजीयात संयुक्त खातेदारी की होने से फलस काश्त करनें व लगान आदि जमा करानें विवाद होता रहता है , इसलिये माफिक हक हिस्से के अनुसार अच्छी से अच्छी व बूरी से बूरी भूमि का विभाजन करवाया जावें । उपस्थित प्रतिवादी भँवर लाल ने भी भूमि विभाजन किये जाने में कोई आपंति नही होना जाहिर किया है । मैने उभयपक्ष को सूना । बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्नानुसार रहा है । वादी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 मौजा अमरपुरा पटवार हल्का देवरिया तहसील हुरडा के अनुसार आराजी नं.– 528/11 रकबा 13 बीघा भूमि जेठू , मूला , पाँचू , लक्ष्मण पिता बख्तावर , हगामी बेवा बख्तावर 1/2, हीरा पिता हुक्मा 1/2, साकिन देह, विरासत से हीरा पिता हुक्मा के बजाय माधू , गोपाल पिता हीरा , नाराणी पुत्री हीरा गुर्जर, हक त्याग से नाराणी पुत्री हीरा गुर्जर के बजाय माधू पिता हीरा 1/3 , गोपाल पिता हीरा 2/3 गुर्जर का नाम दर्ज रकार्ड आया तथा बिकाव से माधू पिता हीरा 43/260, हिस्से में से 20/260 हिस्सा , भँवर लाल पिता ईश्वर , सा0 देह के नाम दर्ज रिकार्ड आया , बिकाव से माधू पिता हीरा, हिस्सा 23/260, के बजाय रामदेव पिता गंगाराम 23/260 हिस्सा दर्ज होना प्रकट आया है।	

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला–भीलवाड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

यहाँ वादी का कथन है कि आराजीयात संयुक्त कब्जेकाश्त की होने से फसल काश्त करने व लगान आदि जमा कराने में आये दिन विवाद होता रहता है , इसलिये माफिक हक हिस्से के अनुसार अच्छी से अच्छी व बूरी से बूरी भूमि का विभाजन कराना चाहा है । इसमें प्रतिवादी भँवरलाल को भी कोई आपत्ति नही होने से दावा वादी प्राथमिक डिकी किये जाने योग्य है।

::–निर्णय::–

दावा वादी प्राथमिक डिकी किया जाकर मौजा अमरपुरा पटवार हल्का देवरिया तहसील हुरडा की आराजी नं.– 528/11 रकबा 13 बीघा भूमि के खातेदान काश्तकारान के मध्य उनके हक हिस्से के अनुसार अच्छी से अच्छी व बूरी से बूरी भूमि व लगान विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार हुरडा को निर्देश दिये जाते है कि वह आज ही भूमि व लगान का विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मय लगान फाटनी प्रस्तुत करें । निर्णय आज 06.06.2018 को खुली लोक अदालत केम्प कोर्ट उखलिया पर सुनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

06.06.2018

तहसीलदार हुरडा के द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर प्रस्तुत किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

1– जेठू , मूला , पांचू , लक्ष्मण पिता बख्तावर , मु0 हगामी बेवा बख्तावर गुर्जर साकिन देह के हिस्से में :–

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
अमरपुरा	528/11	06 बीघा 11 बिस्वा	3.93
कुल किता 01		06 बीघा 11 बिस्वा	3.93

2– गोपाल पिता हीरा गुर्जर सा0 देह के हिस्से में :–

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
अमरपुरा	631/11	04 बीघा 06 बिस्वा	2.58
कुल किता 1		04 बीघा 06 बिस्वा	2.58

3– रामदेव पिता गंगाराम गुर्जर सा. देह के हिस्से में :–

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
अमरपुरा	632/11	01 बीघा 03 बिस्वा	0.69
कुल किता 1		01 बीघा 03 बिस्वा	0.69

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

5 – भँवरलाल पिता ईसर गुर्जर सा देह के हिस्से में , रहन बी0ओ0 बी0 रुपाहेली :–

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
अमरपुरा	633 / 11	01 बीघा 00 बिस्वा	0.60
कुल किता 1		01 बीघा 00 बिस्वा	0.60

उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी को सुना गया । उपस्थित वकील वादी के द्वारा तहसीलदार हुरडा से उक्त प्राप्तुसदा विभाजन प्रस्ताव को सही होकर स्वीकार किया जाना जाहिर किया है ।

मैने भी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। तदनुसार तहसीलदार हुरड़ा से उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तथा इसी अनुरूप प्रकरण मे अंतिम डिकी पर्चा तैयार किये जाने के आदेश दिये जाते है । तद्नुसार अन्तिम डिकी पर्चा तैयार किया जावें पत्रावली सुमार फेसल होकर दाखिल दफतर करें । आदेश आज दिनांक 06.06.2018 को खुली लोक अदालत केम्प कोर्ट उखलियॉं पर सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner